रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112026-277812
CG-DL-E-10112026-277812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5817] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5817] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6049(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4155(अ) तारीख 27 जुलाई , 2026 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के पूर्णियां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31(खगड़िया - पूर्णियां सेक्शन) केकि.मी. 390.500 से कि.मी. 413.530 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11 अगस्त, 2026" को "हिंदुस्तान" और "हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी

रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के पूर्णियां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया - पूर्णियां सेक्शन) के कि.मी. 390.500 से कि.मी. 413.530 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			**जिले का नाम: पूर्णियां**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: पूर्णियां पूर्व					
गांव का नाम: डगरुआ					
1	1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1108	सेख तफेजुल,पिता-सेख सुख्खन । 1
2	10	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.1074	बीवी नसीमा रानी,नाजरा खातून,पिता-मो.कयूम।
3	13	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0352	बोकाई,पिता-मोह्बील,गफ्फार,सत्तार,पिता-मोहबी। 13
4	14	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.4865	बीवी हुसन आरा,पति-मोहम्मद इरफान,मोहम्मद अनवर कलीम,पिता-मोहम्मद कलीमुद्दीन। मोहम्मद जमील,पिता-स्वर्गीय छेदी वो बीवी रबीना,पति-मो0 जमील,मोहम्मद हनीफ वो मानिक,पिता-स्वर्गीय अब्दुल हन्नान। 14
5	15	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0626	मो.रहमान,पिता-अब्दुल मजीद 15
6	16	निजी	एग्रीकल्चर	0.4008	मो0 हसनैन आलम,पिता-स्वर्गीय मो.सगीरउद्दीन 16
7	17	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.2118	शेख रफीक,पिता-शेख हबीबुर्र रहमान वो मुहम्म्द,पिता-हसिबुर्रहान वो बीबी सज्कुरा,पिता-शेख टमन,साबरा खातुन,पति- मो0 महिररूद्दीन। 17
8	22	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0987	मो.कैयुम,पिता-जखीरूद्दीन। 22

9	3	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.1484	मोहम्मद कलीम वो मोहम्मद हलीम वो मोहम्मद नूर आलम,पिता-शेख टुराई। 3
10	4	निजी	एग्रीकल्चर	0.2441	सेख तफेजुल,पिता-सेख सुख्खन । 4
11	5	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.1087	बीबी हुस्न आरा,पति-मो0 इरफान। 5
12	6	निजी	एग्रीकल्चर	0.045	सेख तफेजुल,पिता-सेख सुख्खन ।
13	7	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.6917	शेख उसमान,पिता-शेख मोहरम। 7
14	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.1086	बीबी नसीमा रानी,पति-मो0 कैयुम, मो0 अम्मार,पिता-मो0 कैयुम,सरफाज,पिता-कैयुम, मो0 मुर्तजा,पिता-कैयुम। 8
15	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099	मो.कैयुम,पिता-शेख जखीरूद्दीन। 9
			Total	2.8702	

[फा. सं. NHAI/12010/09/BGS/2010/Tech/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6049(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **4155(E) dated 27th July, 2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH31 in the stretch of land from Km. 390.500 to Km. 413.530 in the district of Purnea in the state of BIHAR

And whereas the substance of the said notification has been published in " Hindustan" and "Hindustan Times " both dated 11th August, 2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 390.500 to Km 413.530 (Khagaria -Purnea Section) of National Highways No- 31 in the district of Purnea in the state of BIHAR.

State: BIHAR			**District: Purnea**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Purnea East					
Village: Dagarua					
1	1	Private	Agriculture	0.1108	Sheikh Tafejul, S/o-heikh Sukkhan. 1
2	10	Private	Agriculture	0.1074	Bibi Nasima Rani, Nazra Khatoon,D/o-Md. Qayyum.
3	13	Private (,)	Agriculture	0.0352	Bokai, S/o- Mohbil, Gaffar, Sattar, S/o- Mohbi. 13
4	14	Private (,)	Agriculture	0.4865	Husn Ara , W/o-Mohammad Irfan or,Mohammad Anwar Kaleem, D/oMohammad Kalimuddin, Mohammad Jamil , S/o late Chhedi or,Rabina Mohammad Hanif alias Manik , S/o the late Abdul Hannan. 14
5	15	Private (,)	Agriculture	0.0626	Md. Rahman, S/o Abdul Majid 15
6	16	Private	Agriculture	0.4008	Md. Hasnain Alam, S/o Late Md. Sagiruddin 16
7	17	Private (,)	Agriculture	0.2118	Sheikh Rafiq, S/o- Sheikh Habibur Rahman, Mohammad, S/o- Hasibur Rahman, Bibi Sajkura, S/o- Sheikh Taman, or,Sabra Khatun ,W/o- Md Mahiruddin. 17
8	22	Private (,)	Agriculture	0.0987	Mohd. Kaiyum, S/o- Zakhiruddin. 22
9	3	Private (,)	Agriculture	0.1484	Mohammad Kaleem, Mohammad Haleem, or Mohammad Noor Alam, S/o-Sheikh Turai. 3
10	4	Private	Agriculture	0.2441	Sheikh Tafejul, S/o-heikh Sukkhan. 4
11	5	Private (,)	Agriculture	0.1087	Bibi Husn Ara, W/o- Md. Irfan. 5
12	6	Private	Agriculture	0.045	Sheikh Tafejul, S/o-heikh Sukkhan.
13	7	Private (,)	Agriculture	0.6917	Sheikh Usman, S/o-heikh Moharam. 7
14	8	Private	Agriculture	0.1086	Bibi Nasima Rani ,W/o- Md. Kaiyum, Md. Ammar, S/o- Md. Kaiyum, Sarfaj, S/o- Kaiyum, Md. Murtaza, S/o- Kaiyum. 8
15	9	Private	Agriculture	0.0099	Md. Qayyum,S/o- Sheikh Zakhiruddin. 9
			Total	**2.8702**	

[F. No. NHAI/12010/09/BGS/2010/Tech/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.10 16:27:27 +05'30'